फूलबाग, सिकंदर कंपू व दौलतगंज समेत बनेंगी 10 सड़कें

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 6 अगस्त. बारिश के चलते शहर की अधिकतर सड़कें जर्जर हो चुकी है, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों में हुए गड्डों के कारण बाइक सवार गिरकर घायल हो रहे हैं, वहीं शहर में गड्डों के कारण ट्रैफिक की रफ्तार भी धीमी पड़ गई है, जिससे जाम की स्थिति भी उत्पन्न हो रही है। ऐसे में निगम फूलबाग, दौलतगंज, सिकंदर कंपू समेत शहर की 10 सड़कों का निर्माण करेगी। शहर में बारिश के कारण सड़कें जर्जर होकर धंसक चुकी है, जिससे पूरा शहर

परेशान है। नगर निगम इन सड़कों की मरम्मत भी ठीक से नहीं करा पाया, जिससे लोगों में निगम को लेकर भारी गुस्सा है।

नगर निगम को मिलेंगे 10 करोड़ रुपए

शासन स्तर से नगर निगम को 10 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया जाएगा, जो उसे आगामी माह में मिलने की उम्मीद है। अधीक्षण यंत्री जेपी पारा ने बताया कि उक्त बजट प्रदेश की सभी निगमों को जारी किया जाएगा, जिसमें ग्वालियर नगर निगम भी शामिल है। इस बजट से नगर निगम विकास का नया प्लान बनाते हुए सड़कों सहित अन्य जनहित के कार्य कराएगी। जिससे लोगों को फायदा होगा।

लेकिन न तो महापौर और न ही निगमायुक्त लोगों के इस दर्द को समझ रहे है। शहर में ज्यादातर सड़कें बदहाल हो चुकी है, इनमें निगम व पीडब्ल्यूडी दोनों की सड़कें शामिल है। फिलहाल नगर निगम तो बारिश के सीजन के बाद शहर की 10 सड़कों का निर्माण शुरू करनी जा रही है। निगम के अधीक्षण यंत्री जेपी पारा ने बताया कि बारिश के सीजन के बाद फूलबाग, दौलतगंज व सिकंदर कंपू समेत शहर की 10 सड़कों का निर्माण कराया जाएगा, जिनके टेंडर किए जा चुके है। बारिश खत्म होते ही उक्त सड़कों से गड्ढे पूरी तरह से गायब हो जाएंगे और नई सड़कें लोगों को मिलेंगी।

मेंटेनेंस के लिए सिर्फ 2.50 करोड़ मिले...

नगर निगम ने शासन से सड़कों की मरम्मत कराने व निर्माण को लेकर 6 करोड़ रुपए मांगें थे, लेकिन निगम को शासन की ओर से सिर्फ 2.50 करोड़ रुपए ही मिले है, जो शहर की सड़कों के मेंटेनेंस के लिहाज से ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। हालाकि निगम ने इस राशि का उपयोग अब तक नहीं किया है, वह 1 करोड़ का खर्च बताने फाइल जरूर बना चुकी है, मेंटेनेंस नजर नहीं आ रहा है।

घर में रखकर बीयर बेच रहा था, पुलिस ने पकड़ा

ग्वालियर 6 अगस्त. इंद्रानगर में घर से बीयर बेच रहे एक शराब तस्कर को पकड़कर पुलिस ने उससे अवैध बियर के 40 कैन जप्त किए हैं। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति गिर्राज जी मंदिर के पीछे इन्द्रानगर में अपने घर से बियर बेच रहा है। उक्त सूचना पर से पुलिस टीम ने मुखबिर के बताये स्थान पर जाकर देखा तो इन्द्रानगर नगर में एक व्यक्ति घर के बाहर खडा दिखा, जो पुलिस को देखकर घर के अन्दर की तरफ दौडा जिसे पुलिस टीम द्वारा पकड़ लिया गया। पूछताछ में उसने स्वयं को इन्द्रानगर चार शहर का नाका का होना बताया। पकड़े गये व्यक्ति से बियर बेचने एवं बियर के संबंध में गहनता से पूछताछ की तो उसने बताया कि बियर ऊपर छत पर पानी की टंकी में छिपाकर रखी हुई हैं। पुलिस टीम ने छत की टंकी को चेक किया तो उसमें 40 बियर की कैन रखी मिली।

9 वर्षों से फरार आरोपी गिरफ्तार

ग्वालियर। 9 वर्षों से फरार चल रहे स्थाई वारंटी को थाना उटीला पुलिस ने ग्राम अर्रोली से गिरफ्तार किया हैं। वारंटी के खिलाफ न्यायालय से कुल 2 स्थाई वारंट जारी हैं। थाना उटीला तथा अन्य थानों में वारंटी के खिलाफ पूर्व से कुल 38 अपराध पंजीबद्ध हैं।

पुलिस टीम द्वारा ग्राम अर्रोली से फरार स्थाई वारंटी को पकड़ लिया गया। पूछताछ में उसने अपना नाम भरत सिंह उर्फ चूंचू पिता रामस्वरूप जाट निवासी ग्राम अर्रोली गुफा वाले मंदिर के पास उटीला रोड मुरार जिला ग्वालियर बताया। जिसे पुलिस टीम द्वारा विधिवत गिरफ्तार किया गया।

पं. भारद्वाज की पुण्यस्मृति में प्रतिभा सम्मान समारोह आज

नवभारत न्यूज

मेहगांव 6 अगस्त. जिला भिंड की पावन भूमि पर जन्मे पंडित दाताराम भारद्वाज की द्वादश पुण्य

मौ में होगा समारोह
दंदरौआ महाराज रहेंगे उपस्थित

स्मृति के पावन अवसर पर सरस्वती शिशु मंदिर, मौ में वार्षिक प्रतिभा सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन विगत ग्यारह वर्षों से निरंतर श्रद्धा और सेवा के साथ होता आ रहा है।

पूरे भिंड जिले में बापू के नाम से विख्यात पं. दाताराम भारद्वाज एक गृहस्थ संत के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन पाण्डित्य के साथ धर्म, सेवा और समाज जागरण को समर्पित किया। वे विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष भी रहे और राम मंदिर आंदोलन के समय संघर्ष और बलिदान की मिसाल बने, जिसके लिए वे जेल भी गए। उनकी संघ की विचारधारा में अपार निष्ठा थी और वे संगठन विस्तार एवं समाज को संस्कारित करने में निरंतर सक्रिय रहे।

इस पुण्य अवसर पर, श्री श्री 1008 रामदास जी महाराज (दंदरौआ धाम) की उपस्थिति में यह कार्यक्रम संपन्न होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता अशोक भारद्वाज करेंगे। मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य होंगे। मुख्य वक्ता के रूप में महर्षि अभय कात्यायन अपने विचारों से सबको मार्गदर्शित करेंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में रामानंद शर्मा एवं विद्यालय समिति अध्यक्ष सज्जन सिंह यादव भी मंच को गौरवान्वित करेंगे। साथ ही नगर के समस्त वरिष्ठजन एवं सामाजिक कार्यकर्ता भी आयोजन में सहभागिता कर विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करेंगे।

इस समारोह में मौ नगर के हाईस्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल के टॉपर्स विद्यार्थियों को लैपटॉप भेंट कर सम्मानित किया जाएगा। साथ ही विद्यालय के समस्त छात्र-छात्राओं को स्कूल बैग, टिफिन बॉक्स और पानी की बोतल प्रदान कर उन्हें शिक्षा के प्रति प्रेरित किया जाएगा। यह आयोजन केवल एक सम्मान समारोह नहीं, बल्कि एक संकल्प है - संस्कार, सेवा और शिक्षा को समाज के अंतिम छोर तक पहुँचाने का।

इंटरनैशनल स्टेमलेटिक्स फैस्ट 2.0 का समापन

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 6 अगस्त. ग्वालियर। सिंधिया कन्या विद्यालय, ग्वालियर में आयोजित इंटरनैशनल स्टेमलेटिक्स फैस्ट (2.0) का दो दिवसीय भव्य समापन 6 अगस्त को सफलता पूर्वक सम्पन्न हुआ। यह अभिनव आयोजन विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्र में विद्यार्थियों के नवाचार, तर्क और रचनात्मकता को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से किया गया था। बेस्ट स्कूल इन स्टेमलेटिक्स - सिंधिया

कन्या विद्यालय विजयी रहा। इस फैस्ट में मेजबान टीम सिंधिया कन्या विद्यालय सहित 15 अन्य विद्यालय ने भाग लिया। समारोह विद्यालय की प्राचार्या श्रीमती निशी मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि बालाजी रामानुजम के द्वारा पुरूस्कार वितरित किये गए। मीडिया प्रभारी श्रीमती वैशाली श्रीवास्तव ने बताया कि इस कार्यक्रम में कोऑर्डिनेटर के रूप में श्रीमती मेधा गुप्ता तथा गीतांजलि राजपूत उपस्थित थें। विद्यालय हैड गर्ल प्रियांशी गुप्ता द्वारा धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अनुभाग श्योपुर, जिला श्योपुर (म.प्र.)

प्र.क 0015/अ-20(3)/2025-26/3018 श्योपुर, दिनांक 06.08.2025

सार्वजनिक उद्घोषणा

न्यायालय कलेक्टर जिला श्योपुर का प्र.क्र. 0002/अ-20(2)/2025-26 दिनांक 01.07.2025 द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत श्योपुर ने ग्राम पंचायत रायपुरा के भवन निर्माण हेतु ग्राम रायपुरा की निम्नानुसार शासकीय भूमि को स्थाई पट्टे पर दिये जाने हेतु आरसीएमसी पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत किया है।

क्रं.	ग्राम	सर्वे क्रमांक	कुल रकवा	आवेदित रकवा
1.	ग्राम रायपुरा	244/2	0.0420 हे.	0.0420 हे.
	कुल	01	0.0420 हे.	0.0420 हे.

उपरोक्त संबंध में दावे, आपत्तियां और सुझाव विज्ञप्ति जारी दिनांक से 15 दिवस की अवधि के भीतर न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) श्योपुर जिला श्योपुर म.प्र. में आमंत्रित किये जाते हैं। नियत अवधि के व्यतीत होने के पश्चात प्रस्तुत दावे, आपत्तियां, सुझाव और आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
एवं नजूल अधिकारी
अनुभाग श्योपुर जिला-श्योपुर श्योपुर

द्वादश पुण्य स्मरण

परम पूज्य श्रद्धेय मनीषी

पं. श्री दाताराम भारद्वाज (शास्त्री जी)

दिनांक : 07 अगस्त 2025, गुरूवार

आज हम जिस गौरवशाली सोपान पर हैं; वह केवल आपकी दूरदर्शिता, सुसंस्कृत मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद की परिणति है। आपके सिद्धांतों का अनुशीलन और आपके आदेशित पथ पर अखंड निष्ठा से अग्रसर रहना ही हमारी जीवन यात्रा का संकल्प है।

श्रद्धानवत्

अशोक भारद्वाज (सह संयोजक, आर्थिक प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी,मध्यप्रदेश)
देवेन्द्र भारद्वाज, नरेन्द्र भारद्वाज, मुकेश भारद्वाज (पूर्व अध्यक्ष नगर परिषद मौ)
श्रीमती शिवानी - गौरव भारद्वाज, सौरभ, नमन, रजत, आदित्य, अव्यान भारद्वाज
श्रीमती विद्या - दामोदर प्रसाद लवानियाँ, श्रीमती शशि - महेश श्रोत्रिय
श्रीमती गरिमा - प्रियांक दुबे, श्रीमती सुरूचि-राहुल शर्मा, श्रीमती प्रीति-अलोक शर्मा, श्रीमती रेनू-आशीष राजौरिया
एवं समस्त भारद्वाज परिवार एंव शिष्यगण, मौ - मेंहगाँव

प्रतिष्ठान : **सारथी समूह**

सारथी हाउस, 12 लक्ष्मीबाई कॉलोनी, एम.एल.बी. रोड, ग्वालियर (म.प्र.)
46, निशाद एन्कलेव, 74 बंगला, लिंक रोड नं.1, भोपाल (म.प्र.)

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्रा. लि. हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा. लि. के लिये मुद्रक, प्रकाशक आशीष श्रोती द्वारा सिटी सेंटर, ग्वालियर से प्रकाशित एवं नवभारत प्रेस भोपाल प्रा.लि., सिटी सेंटर से मुद्रित. संपादक हरीश दुबे* समाचार संपादक- अनिल शर्मा, फोन-0751-4086200, फैक्स- 2343200 *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत जिम्मेदार डाक पंजीयन क्रमांक 507/2008/ग्वा. RNI Reg. No. 62237/95